अशासकीय पत्र स0–1/शा0/09/2020–1/09/2020 प्रथम आवटन–टाईड ग्रान्ट

लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2020 अनुदान सं0–14

तेरह अंकों का कोड–2515008000301

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई, 2020 एवं शुद्धि पत्र संख्या–1817(i)/33–3–2020–33/2020 दिनांक–24 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 975200.00 लाख के सापेक्ष सामान्य बुनियादी अनुदान (टाइड फण्ड) की प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 243800.00 लाख (रू0 चौबीस अरब अड़तीस करोड़ मात्र)** की अवमुक्त/स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ0प्र0 प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को यथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया जाये–

2. उत्तर प्रदेश को वर्ष–2020–21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रूपये 9752 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) रूपये 4876 करोड़ है तथा बेसिक ग्राण्ट (टाईड) 4876 करोड़ है। बेसिक ग्रान्ट की दूसरी किश्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रदेश को अवमुक्त होगी। बेसिक ग्राण्ट जो कुल एलोकेशन का 50 प्रतिशत है वह 02 किश्तों में अवमुक्त किया जाना है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–15(2)एफ0सी0– एक्स0वी0/2020–21, दिनांक 01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी0–39011/2/2017एफ0डी0, दिनांक 02.07.2020 से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगाः–

3. यह आदेश भारत सरकार के पत्र सख्या F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक–15.07.2020 एवं वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग के पत्र सं0–एफ0सी0161/दस–2020–2/2020, दिनांक 16.07.2020 के क्रम में निदेशक पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव संबंधी पत्र सख्या–8/3863/2019–8/98/2019–20 दिनांक 23.07.2020 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1/149/दस–2020–231/2019, दिनांक 24.03.2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

4. समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, कियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रलाय भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (E- Gram Swaraj) के माध्यम से की जायेगी।

5–यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के लिए खोले गए बैंक खाते में हो व्यवहरित की जाएगी।

6–सर्वप्रथम समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर ई–ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपनी वार्षिक ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

7–उक्तानुसार प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई–ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।

8–तत्पश्चात् प्रत्यक कार्य (वर्क आईडी) के सापेक्ष समस्त भुगतान इ–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो कि पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से एकीकृत है) के माध्यम से किया जायेगा।

9–प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा–वेन्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई–ग्राम स्वराज –पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

10. उक्त आवंटन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईलेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0– 1021/ दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

12. उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–14 के **लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–15वें वित्त आयोग–0301–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता(गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

13. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति एवं आवंटन जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

15. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

16. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

18. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

19. उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त टाइड ग्रान्ट की कुल धनराशि रू0 243800.00 लाख को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है–

क0सं	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/–
योग		24,38,00,00,000/–

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन पंजिका के पृष्ठ सं0–78 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या–1/शा0/09/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक–24.07.2020 के क्रम में।

2. विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग–2), उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक अनुभाग–2), उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता/वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज लेखा, दसवा तल इंदिरा भवन, लखनऊ।
6. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. समस्त मण्डलायुक्त।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. उप निदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयोग, पचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
12. उप निदेशक(पं0), जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
15. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ0प्र0।